न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 05/2017 (225 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00140

उनवान

1. पंचम सिंह पुत्र शंकर
2. रामप्रसाद पुत्र शंकर
3. बाबूलाल पुत्र पांचिया

} जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम मनिया तह0 व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर। ..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.09.2016 प्रकरण संख्या 27/14 उनवान सरकार बनाम पंचम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री हरवीर सिंह अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–22.04.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 23.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम अलहपुरा तहसील धौलपुर में स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी/अपीलाण्ट पंचम वगै0 हैं। अप्रार्थी/अपीलाण्ट को उक्त भूमि पर काश्त करने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अप्रार्थी/अपीलाण्ट विवादित आराजी पर काश्त ना करते हुये, अकृषि कार्य में उपयोग ले रहे हैं। जबकि उन्हें बिना भूमि संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्य करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, विवादित आराजी को सिवायचक घोषित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि प्रकरण में तहसीलदार धौलपुर ने पटवारी हल्का की गलत

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

एंव विधि विरूद्ध रिपोर्ट पर बिना कोई जानकारी किये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.07.2016 को अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी एवं पुनः दिनांक 16.09.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही कर दी, जो कतई गलत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपीलाण्ट संख्या 03 बाबूलाल को ही नोटिस जारी किये गये हैं एवं उक्त नोटिस भी बाबूलाल पर तामील नहीं हुये हैं। उक्त नोटिस पर स्पष्ट लिखा है कि बाबूलाल मंनिया में निवास करता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने में भूल की है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तहसीलदार से कोई रिपोर्ट मौके की नहीं ली गयी है एवं ना ही धारा 177 के उपबन्ध 2 लगायत 4 की पालना ही की गयी है एवं ना ही पटवारी हल्का अथवा तहसीलदार के कोई बयान ही लिये गये हैं। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि अपीलाण्ट बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि पर कच्ची ईट रखकर अकृषि कार्य कर रहे हैं। परन्तु उक्त रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि ईटो को रखने का कार्य मुस्तकिल होता है या टैम्परेरी होता है। ईट किस उपयोग के लिये रखी गयी है। सत्य तो यह है कि पटवारी हल्का अपीलांट से अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहता था। इस कारण उसने झूठी रिपोर्ट पेश की है। अपीलाण्ट अपनी आराजी की सिंचाई हेतु कुआ का निर्माण एवं आराजी की देखभाल करने हेतु एक कच्ची झोंपडी का निर्माण करना चाहता था एवं इसी उद्देश्य से अपीलाण्ट ने अपनी आराजी पर ईट रख रखी थी। बाकी भूमि पर फसल हो रही है। कच्ची ईंट रखना अकृषि कार्य नहीं हो सकता। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने उनकी बैक पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

4. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अपीलाण्ट संख्या 03 बाबूलाल को ही नोटिस जारी किये गये हैं शेष अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 पंचम व रामप्रसाद को कोई नाटिस जारी नहीं किये गये हैं। अपीलाण्ट संख्या 03 बाबूलाल का भी नोटिस स्वयं बाबूलाल पर तामील नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दूसरा नोटिस लोक अदालत में प्रकरण रखने हेतु दिनांक 02.06.2015 के लिये तीनो अपीलाण्ट का सम्मिलित जारी किया गया है। परन्तु तामील कुनन्दा ने उक्त नोटिस पर केवल बाबूलाल का मनियॉ में निवास करना होना बताया है। लिहाजा उक्त नोटिस भी बाबूलाल अथवा अन्य अपीलाण्ट पर तामील नहीं हुआ। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने में भूल की है। इसके अलावा अधीनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। जबकि धारा 177 की उपधारा (4) में स्पष्ट अंकित है कि नोटिस में विनिर्दिष्ट समय में उपस्थित होने और बेदखली के दायित्व का प्रतिवाद करने पर, उचित न्यायालय–फीस का संदाय करने पर न्यायालय आवेदन को वाद–पत्र मानेगा और मामले में वाद की तरह कार्यवाही करेगा। परन्तु हस्तगत प्रकरण में ना तो अधीनस्थ न्यायालय ने कोई साक्ष्य ली एवं ना ही पटवारी हल्का के कोई बयान अथवा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ही तलब की गयी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। लिहाजा हम अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 23.09.2016 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेपित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कैम्प–धौलपुर

22.04.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर